

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/सम्पदा प्रबन्धक/57/2012/२२२७ दिनांक:- 17/10/12

--:: कार्यालय-आदेश ::--

राजस्थान आवासन मण्डल के आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/दूरभाष नीति/ 223/2009-10/7, दिनांक 01.04.2010 के द्वारा मण्डल अधिकारियों को प्रतिमाह दूरभाष एवं मोबाईल बिल पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की हुई है। उक्त वर्णित आदेश के निरन्तर क्रम में मण्डल के वृत्त/खण्ड कार्यालयों में कार्यरत समस्त सम्पदा प्रबन्धक एवं सहायक आवासन अधिकारी को क्रमशः प्रतिमाह 500/- रुपये एवं 300/- रुपये केवल मोबाईल बिल के पुनर्भरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

सचिव

सचिव

—६०—
सचिव

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.म. जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर ।
3. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप सचिव/वरि.कार्मिक प्रबन्धक/सुरक्षा/भूमि अवाप्ति अधिकारी/विशेषाधिकारी(भूमि), रा. आ. मं., जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा. आ. मं.,
5. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

सचिव

Mobile :